रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 जुलाई, 2010
आषाढ़ 31, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग–4

संख्या 1462/30-4–10-25पी-77

लखनऊ, 22 जुलाई, 2010

अधिसूचना

सा०प०नि०-42

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–108 के परन्तुक के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राज्यपाल निदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या 1772/30-4–2007-25पी-77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य सभा एवं लोक सभा के मा० सदस्यगण को राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में वर्णित श्रेणी 'ख' में स्थापित करते हुए उनको ले जा रहे एक निजी मोटरयान के शीर्ष अग्र भाग पर, जब वह राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर हों, बिना फ्लैशर के लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी।

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 324 राजपत्र (हि0)–2010–(703)–597+2 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 9 सा0 परिवहन–2010–(704)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।